आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –349 / 2022

गुलाम मुस्तफा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
24.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 1902 / 2020 में दिनांक–09.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश में अंकित है कि :– **"Keeping in view the nature of dispute between the parties and the notification referred to above, we deem it appropriate to refer the matter to the Divisional Commissioner for the resolution of the dispute with a direction that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint within a period of 30 days, the Divisional Commissioner shall look into the matter and after heaing all the stakeholders, including Respondent No. 8, shall pass a final order within a further period of 90 days, giving reasons in support of the decision taken by him."** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सविस्तार सुना।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी ने जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के गुलाबपट्टी पंचायत में आवेदन दिया। वादी फाजिल डिग्री से कम्प्यूटर के साथ M.A (स्नातकोत्तर) है एवं चयन समिति ने वादी के पक्ष में अनुशंसा भी किया। विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) एवं उनके पत्नी ने भी जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु आवेदन दिया। आगे वादी का कहना है कि विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) जिसका अनुज्ञप्ति हेतु चयन हुआ है वे प्रधानमंत्री कौशल योजना में काम करते है, एवं अच्छे वेतनधारी है। फिर भी जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) का चयन कर लिया और वादी का चयन नहीं किया जबकि वादी मेधा सूची में क्रमांक 01 पर थे। इसकी शिकायत वादी ने जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से किया परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) एवं उनकी पत्नी द्वारा एक साथ जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए आवेदन देना भी नियमानुकूल नहीं है। अंत मे वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दुकान हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 था एवं उस समय तक वादी का फाजिल (M.A) की डिग्री नहीं मिली थी। मेधा सूची में क्रमांक 03 पर विपक्षी का नाम था एवं अभ्युक्ति कॉलम में अंकित है कि ***"आवेदक M.A एवं कम्प्यूटर ज्ञान धारक है परंतु इनके द्वारा लगान रसीद संलग्न नहीं किया है।"*** इसके बाद विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) ने दिनांक 13.07.2018 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष आवेदन के साथ लगान रसीद जमा कर दिया। इसके बाद विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) के दावा आपत्ति में

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिये गये कागजात के जाँचोपरांत जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) को जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु योग्य पाते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा किया जो नियमानुकूल है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के गुलाबपट्टी पंचायत में अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ। जिसमें उभय पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा की विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) एवं इनकी पत्नी ने भी आवेदन दिया एवं विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) प्रधानमंत्री कौशल योजना में काम करते है, जो गलत है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह वर्णित है कि पति एवं पत्नी एक साथ आवेदन नही कर सकते है तथा प्रधानमंत्री कौशल योजना में काम करने वाले को अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती है। इसलिए इनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। अब जहाँ तक उनके फाजिल डिग्री से कम्प्यूटर के साथ M.A की बात है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख में वादी के फाजिल/उर्दु की डिग्री जिसमे क्रमांक सं0–160780500022 है में अंकित है कि फाजिल (उर्दु) खण्ड (ii) की परीक्षा मई 2018 में हुआ है जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.01.2018 ही था इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि उनका डिग्री आवेदन करने के बाद की तिथि का है। अब जहाँ तक वादी के पक्ष में अनुशंसा की बात है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादी के पक्ष में अनुशंसा के बाद औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ। औपबंधिक मेधा सूची में विपक्षी सं0–05 (श्री

WEB COPY NOT OFFICIAL

मुन्ना कुमार) द्वारा लगान रसीद जमा नहीं करने के कारण को दर्शाया गया था। तत्पश्चात् विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) ने जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष दावा/आपत्ति किया जिस पर विचारोपरांत जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–05 (श्री मुन्ना कुमार) के पक्ष में अनुज्ञप्ति देने का निर्णय लिया है, जो नियमानुकूल है।

उपरोक्त के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL